



2026:AHC:31514-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका संख्या - 338/2026

प्रिंस पाल याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 11 अन्य प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अनिल कुमार त्रिपाठी, मनीष कुमार पांडे, आदित्य वर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आलोक सिंह, मीनाक्षी सिंह (अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता), फूल चंद्र सिंह, सुमित्रा सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. कथित तौर पर जनहित में यह याचिका, याचिकाकर्ता द्वारा चकमार्ग और पोखरा पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए दायर की गई है।
2. याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि 13.12.2025 और 17.01.2026 को दिए गए दो प्रत्यावेदनों को प्रस्तुत करने के अलावा, लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई अन्य सामग्री दाखिल नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, चकमार्ग पर अतिक्रमण से संबंधित आरोपों के लिए, याचिकाकर्ता के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 25 और 26 के तहत उपचार उपलब्ध है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. इसके दृष्टिगत, हमें वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता। अतः इसे निस्तारित किया जाता है, तथा याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला रखा जाता है कि वह कानून के अनुसार संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखे।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 12, 2026

एन.डी./ए.के. शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"